

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक—

संचिका सं०-17/विविध 2-07/2014 ...../स्वा०, डा० विद्यापति चौधरी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना जो विभागीय अधिसूचना संख्या-482(17) दिनांक- 30.06.2019 के द्वारा दिनांक-30.06.2019 के प्रभाव से अगले आदेश तक प्राचार्य पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के अतिरिक्त प्रभार में है, को वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-9262/वि० दिनांक-01.10.2011 के द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-84 के अंतर्गत उक्त संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त कि जाती है।

2. डा० चौधरी को तत्काल वितीय समस्याओं के निराकरण हेतु वितीय शक्ति नियमित पदस्थापन या अगले आदेश जो भी पहले हो, तक के लिए दी जाती है।

3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-17/विविध 2-07/2014 - 865 (17) पटना, दिनांक :- 18/7/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।


प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा 01,02,08,09,18 एवं 18 ए, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।